दिनांक 08/06/2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी के मुकदमें में फरार चल रहा वांछित नशा तस्कर गिरफ्तार, निशानदेही पर 155 ग्राम सुल्फा बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में "ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर" अभियान चलाया जा रहा है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे नशीलें पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार मे शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान "आपरेशन सवेरा 2.0" के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री इन्द्रेश कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 07/06/2026 को थाना गंगोह पुलिस द्वारा नशा तस्करी के मुकदमें में ***वांछित नशा तस्कर अभियुक्त अब्दुल कादिर पुत्र आबिद निवासी ग्राम हथछोया थाना झिंझाना जनपद शामली हाल निवासी 199, हेरीनेज आर धारुहेडा गुरुग्राम (हरियाणा)*** *को धारूहेडा गुरूग्राम हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त अब्दुल कादिर उपरोक्त की निशादेही पर गंगोह कस्बे से बाहर पशु पैठ चौराहे के पास से मु0अ0सं0 595/25 धारा 8/18/29 एनडीपीएस एक्ट थाना गंगोह से सम्बन्धित 155 ग्राम अवैध सुल्फा बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त* ***थाना गंगोह पर पंजीकृत मु0अ0सं0 595/25 धारा 8/18/29 एनडीपीएस एक्ट में वांछित*** *चल रहा था। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 20 एनडीपीएस एक्ट की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

-<u>पूछताछ का विवरण</u> - अभियुक्त अब्दुल कादिर उपरोक्त द्वारा बताया गया कि मैं पिछले कई वर्षों से गुरुग्राम के धारूहेडा में रह कर एक पनीर प्लांट में काम करता हूँ। पनीर पलांट से सप्लाई करने के कई गाडी अलग अलग जगहों पर पनीर सप्लाई करने जाती है। जिसमें एक गाडी पानीपत शहर हरियाणा में सप्लाई के लिये जाती है जिस पर मै भी कभी कभी पनीर सप्लाई के लिये जाता था जहां पर एक अजनबी व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुयी थी। जो कि अफीम व सुल्फा व अन्य नशे की चीजे बेचने का काम करता था लेकिन अपनी पहचान व मोबाईल नम्बर नहीं बताता था। लालच में आकर मै उसके साथ काम करने को तैयार हो गया तथा अफीम व सुल्फा बेचने का काम करने लगा, मुझे इस काम में अच्छी कमाई होने लगी। इसके बाद मेरी जानकारी पानीपत शहर में अंशल 13-17 मार्किट में कृष्णा डेरी में काम करने वाले नितीश कुमार व पवन (जोकि झारखण्ड के रहने वाले है।) से हो गई और मैं उनको भी नशे का सामान सप्लाई करने लगा, मैं माल बेचने कई बार नितीश व पवन के साथ भी जाता था, मै ओर जगह रूक जाता था और वह दोनो माल बेचने चले जाते थे, बाद में वह दोनो माल बेचकर मुझसे और माल ले जाते थे दिनांक 12/12/25 को भी मैंने नितीश व पवन को अफीम बेची थी तथा सुल्फा अपने पास रख लिया था,

मैं उनसे अलग हो गया था । मैं उनसे दो घण्टे बाद गंगोह कस्बे से बाहर पशुपैठ चौराहे पर मिलने के बोला था। दिये हुये समय पर मैं चौराहे पर पहुँच गयु था लेकिन नितीश व पवन वहाँ पर नहीं पहुंचे थे तो मैं समझ गया कि उन दोनों को पुलिस ने पकड लिया होगां और मेरे पास जो सुल्फा था मैने उसे चौराहे से थोडी दूर चल आगे चलकर चकरोड के किनारे मिट्टी में दबा दिया था । जो आज मैने आपको बरामद करा दिया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अब्दुल कादिर पुत्र आबिद निवासी ग्राम हथछोया थाना झींझाना जिला शामली ।

बरामदगी का विवरण-

- *155 ग्राम सुल्फा*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. *उ0नि0 केरन सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर*
2. *है0का0 294 उदित मलिक थाना गंगोह जनपद सहारनपुर*
3. *हे0का0 12 अँकुश गोदवारा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर*
4. *हे0का0 564 नितिन त्यागी थाना गंगोह जपनद सहारनपुर*

-प्रेस नोट-

दिनांकः 08.06.2026

थाना बिहारीगढ पुलिस द्वारा अवैध खनन परिवहन करते हुए 01 डंफर व 01 ट्रैक्टर-ट्राली को किया गया सीज

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध व अवैध खनन की रोकथाम हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा अभियान चलाकर लगातार संघन चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक बिहारीगढ़ श्री सतेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना बिहारीगढ पुलिस द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान अवैध खनन सामग्री का परिवहन करते 01 डंफर संख्या UK07CB4786 व 01 ट्रैक्टर ट्राली नं0 UK07CD0154 को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया। उक्त सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागो को रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है।

सीज वाहनो का विवरण –

- *01 डंफर संख्या UK07CB4786*
- *01 ट्रैक्टर ट्राली नं0 UK07CD0154*

सीज करने वाली पुलिस टीम–

1. *प्र0नि0 श्री सतेन्द्र सिंह थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर*
2. *उ0नि0 श्री संजीव यादव थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर*
3. *का0 686 अंकित तोमर थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर*
4. *का0 1873 विक्रान्त कुमार थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर*

दिनांक- 08.06.2026

-प्रेस नोट-

थाना बेहट पुलिस द्वारा अवैध खनन परिवहन पर शिकंजा कसते हुए, 01 वाहन को ओवरलोड उपखनिज के साथ किया गया जब्त

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अवैध खनन परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु टास्क फोर्स गठित कर लगातार चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, सहारनपुर के निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह दीखित के कुशल नेतृत्व में थाना क्षेत्र में लगातार पिकेट व चैकिंग टीमें लगाकर अवैध खनन परिवहन करने वाले वाहनों के विरूद्ध कडी कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही के क्रम में दिनांक 08.06.2026 को क्षेत्राधिकारी बेहट व प्रभारी निरीक्षक बेहट मय पुलिस टीम द्वारा उच्चाधिकारीगण के निर्देशो के क्रम मे अवैध खनन रोकथाम हेतु औचक चैकिंग के दौरान 01 ट्रक (बडा घोडा) रजि0नं0 HR58F8973 को ओवरलोड उपखनिज का परिवहन करते हुए पकड़ा गया। ट्रक (बडा घोडा) को मय ओवरलोड उपखनिज के थाना स्थानीय पर दाखिल किया गया तथा अग्रिम कार्यवाही के लिये उच्चाधिकारीगण को रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है।

सीज वाहन का विवरणः-

01 ट्रक (बडा घोडा) रजि0नं0 HR58F8973 को ओवरलोड उपखनिज परिवहन करते हुए पकडा गया

वाहन जब्त करने वाली टीम का विवरणः-

1- क्षेत्राधिकारी बेहट सुश्री प्रिया यादव
2- प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह दीखित थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3- उ0नि0 श्री धीरज सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर
4- है0का0 1058 राहुल राणा थाना बेहट जनपद सहारनपुर
5- का0 1328 अभिषेक कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर

दिनांकः 08-06-2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा सरकारी कार्य मे बाधा डालने व जान से मारने की नियत से धारदार हथियार/लाठी डंडो से हमला करने वाले 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर 01 अवैध चाकू व 02 डण्डे (घटना मे प्रयुक्त) बरामद

अवगत कराना है कि **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर** के निर्देशन मे अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग की जा रही है।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह श्री इन्द्रेश कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 07/06/2026 को थाना गंगोह पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त अफजाल उर्फ गोलू पुत्र लियाकत उर्फ रूला निवासी ग्राम कुण्डा कलाँ थाना गंगोह जनपद सहारनरपुर को सम्बन्धित वाद संख्या 1001/2023 व मु0अ0सं0 566/2021 धारा 8/21/60 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना गंगोह में ग्राम कुण्डा कलाँ से गिरफ्तार करने पर अभियुक्त अफजाल के परिजनो द्वारा थाना गंगोह पुलिस का रास्ता रोककर लाठी डंडो व धारधार हथियार से जान से मारने की नियत से हमले है0का0 1330 परविन्दर को घायल कर देने तथा अभियुक्त अफजाल पुलिस हिरासत से छुडाकर भगा दिया।

उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में उ0नि0 सतेन्द्र कुमार चौकी प्रभारी कुण्डा कलाँ की तहरीर के आधार पर मु0अ0स0 286/26 धारा 109(1)/191(2)/191(3)/190/262/263(घ)/132/126(2) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट के पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तो की गिरफ्तारी व प्रभावी कार्यवाही करने हेतु आदेश-निर्देश दिए गये। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह श्री इन्द्रेश कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08/06/2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में **03 वांछित अभियुक्तगण 1. अफजाल उर्फ गोलू (वारण्टी) 2. गुलजार 3. इस्तकार पुत्र लियाकत उर्फ रूला निवासीगण ग्राम कुण्डा कलां थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** को ग्राम बेगीरुस्तम से दौलतपुर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 01 अदद चाकू व 02 अदद डण्डे (घटना मे प्रयुक्त) बरामद। अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त/वारण्टी का नाम व पताः-

1. अफजाल उर्फ गोलू पुत्र लियाकत उर्फ रूला नि0 ग्राम कुण्डा कलां थाना गंगोह जिला सहारनपुर
2. गुलजार पुत्र लियाकत उर्फ रूला नि0 ग्राम कुण्डा कलां थाना गंगोह जिला सहारनपुर
3. इस्तकार पुत्र लियाकत उर्फ रूला नि0 ग्राम कुण्डा कलां थाना गंगोह जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 01 अदद चाकू (घटना मे प्रयुक्त)
- 02 अदद डण्डे (घटना मे प्रयुक्त)

आपराधिक इतिहासः- अभियुक्त अफजाल उर्फ गोलू

1.मु0अ0स0 566/21 धारा 8/21/60 एनडीपीएस एक्ट थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2.मु0अ0स0 523/22 धारा 414 भादवि व 60/63 आबकारी अधि0 थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3.मु0अ0स0 190/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहासः- अभियुक्त गुलजार

1.मु0अ0स0 321/17 धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधि0 थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

2.मु0अ0स0 59/21 धारा 4/10 यूपी गुण्डा अधि0 थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहासः- अभियुक्त इस्तकार

1.मु0अ0स0 163/15 धारा 392 भादवि थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री देवेश कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सतेन्द्र कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. है0का0 488 चन्द्रपाल सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. है0का0 568 मन्दीप तालियान थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
5. कां0 964 कुलदीप कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

दिनांक: **08.06.2026**

-प्रेस नोट-

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा छेडछाड की घटना का खुलासा करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार

घटना का विवरण:-

दिनांक 08.06.2026 को वादिया की एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त धर्मेन्द्र पुत्र प्रकाश निवासी ग्राम पुण्डैन थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर द्वारा वादिया की पुत्री के साथ छेडछाड करने की सूचना के सम्बन्ध में थाना गागलहेड़ी पर मु0अ0स0 175/26 धारा 137(2)/75 बीएनएस व 9(एम) /10 पोक्सो अधिनियम के पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर घटना में लिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के क्रम मे पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना गागलहेड़ी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए **वांछित अभियुक्त धर्मेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम पुण्डेन थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर** को ग्राम पुण्डेन से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

धर्मेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम पुण्डैन थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 रामवीर सिंह थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 317 सुनील कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
3. रि0का0 868 प्रियांशू गौतम थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 08.06.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद पुलिस द्वारा ग्राम लालवाला जमीनी विवाद में हत्या के प्रयास के मुकदमें में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरणः-

दिनांक 09.05.2026 को वादी श्री रविन्द्र राणा पुत्र रमेश राणा निवासी ग्राम लालवाला थाना देवबन्द जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत विपक्षीगण द्वारा वादी के घेर मे घुसकर आपस मे षडयन्त्र कर गाली गलौच करते हुऐ हथियार व लाठी डन्डो से लैस होकर जान से मारने की नियत से हमला करने व सामान की तोड फोड करना व प्रार्थी के परिवारजन के सिर व शरीर मे चोट आना व वादी की पत्नि व बेटे का बेहोश होकर गिर जाना व जान से मारने की धमकी देने की सूचना के आधार पर थाना देवबंद पर मु0अ0सं0 329/2026 धारा 191(2)/191(3)/109(1)115(2)/352/351(3)/333/324(2)/3(5) बीएनएस व 7 सीएल एक्ट मे पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाहीः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना में वांछित अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक देवबंद श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.06.2026 को थाना देवबन्द पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त मे **वांछित अभियुक्त रामचन्द्र पुत्र कृपा नि0 ग्राम लालवाला थाना देवबन्द जिला सहारनपुर** को ग्राम फतेहपुर मे जगल के रास्ते से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

रामचन्द्र पुत्र कृपा नि0 ग्राम लालवाला थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 771/22 धारा 323/336 भादवि थाना देवबन्द

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 डैनी कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. है0का0 990 योगेश कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
3. है0का0 1124 राहुल कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

दिनांक: 08.06.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद पुलिस द्वारा दुष्कर्म के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

घटना का विवरणः-

दिनांक 08.05.2026 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. राहुल पुत्र जग्गु उर्फ जगवीर सिंह निवासी ग्राम कुलसठ थाना देवबन्द व एक अन्य द्वारा वादी की भाभी का पीछा करने तथा जान से मारने की धमकी देने की सूचना के सम्बन्ध में थाना देवबंद पर मु0अ0स0 328/26 धारा 351(3)/78 बीएनएस बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(ए)/352 बीएनएस की वृद्धि की गयी।

पुलिस कार्यवाहीः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर घटना में लिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिए गये। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक देवबन्द श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.06.2026 को थाना देवबन्द पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में **वांछित अभियुक्त राहुल पुत्र जग्गु उर्फ जगवीर सिह निवासी ग्राम कुलसठ थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को ग्राम कुलसठ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

राहुल पुत्र जग्गु उर्फ जगवीर सिह निवासी ग्राम कुलसठ थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री रवि वर्मा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. है0का0 274 रवि तोमर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।